खण्ड-463, अंक-3
मंगलवार, 01 ज्येष्ठ, शक संवत् 1929
(22 मई, 2007 ई0)

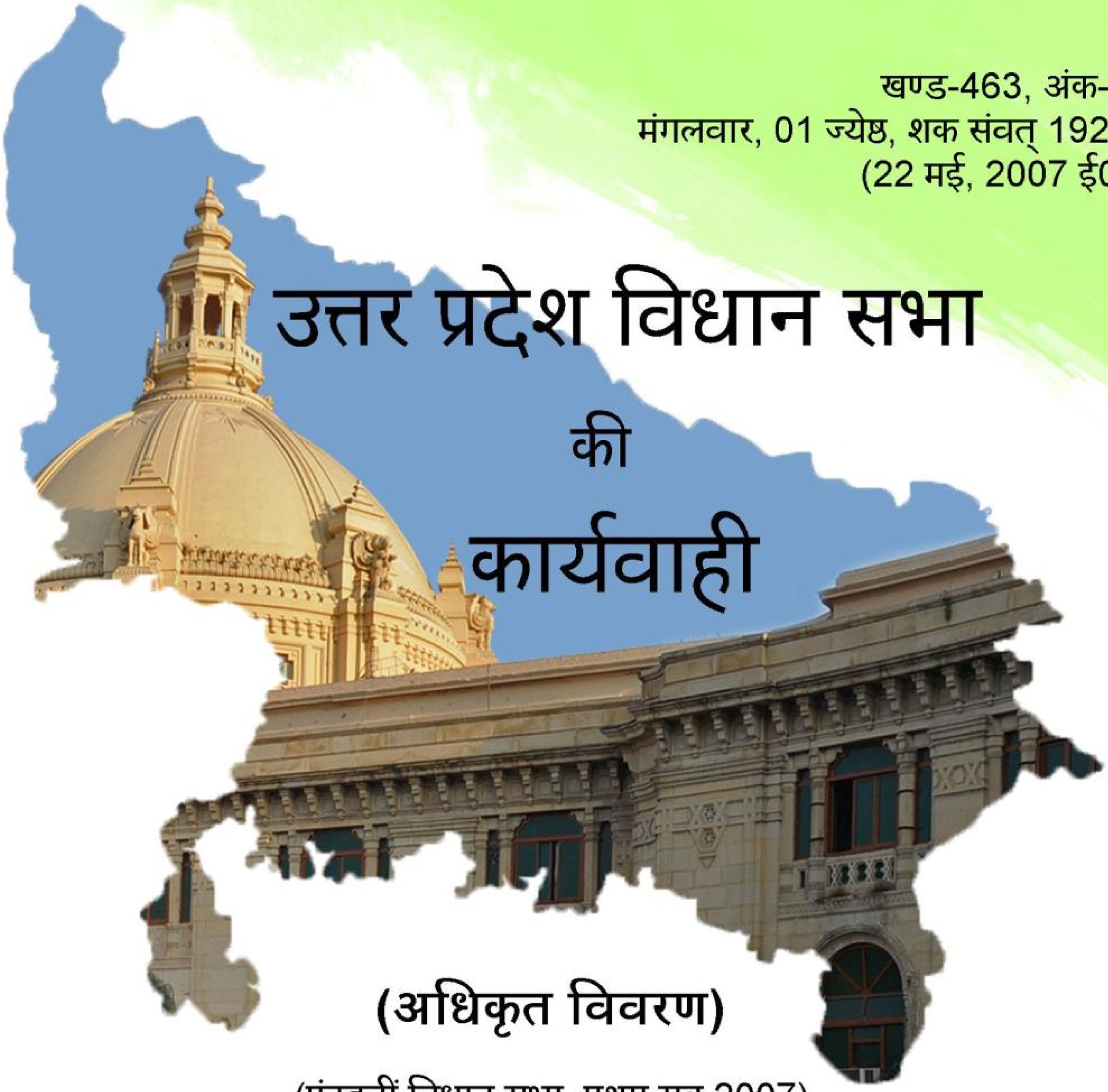

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2007)

खण्ड 463 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
गाजीपुर के दिलदारनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डेढ़गवां से नगसर तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में कौथला झील की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15-16
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	16
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)	17
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव .... (जारी)	17-18
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	18-19
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	19-20
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ... (जारी) ...	20-22
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	22-23
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ... (जारी) ...	23

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
श्री राज्यपाल के अभिभाषण से आपत्तिजनक अंशों को कार्यवाही से निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1-8
श्री राधेश्याम जायसवाल, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना	8-9
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	9-10
शाहजहांपुर में बिजलीपुरा से सेसगंज की विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10
स्याना-बुलन्दशहर, मार्ग पर टैक्सी दुर्घटना में मृत व्यक्तियों एवं घायलों को मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से सहायता दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10-11
गोरखपुर महानगर में बन्द पड़े तारा मण्डल को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	11
प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में पृथ्वीराज चौहान एवं विकास खण्ड मंगरौरा में सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
बरेली-मथुरा राजमार्ग के स्वीकृत निर्माण कार्य को अत्यन्त जर्जर बदायूं मुख्यालय की ओर से पहले निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12-13
खीरी के मुहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड पसगवां में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13
आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में कुत्ते के काटने पर लगने वाली सुई (दवा) की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13
जिला सहकारी बैंक फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में श्री सुधर सिंह वर्मा को आमेलित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	14
जनपद-जालौन के कतिपय अत्यन्त जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14-15

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, 22 मई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 361

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, श्री	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका, श्री	गाजीपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक यादव पुत्र महेश्वर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली उर्फ नावेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा

नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती	देवरिया
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिमलेश सिंह, सुश्री	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मो0 अलीम खां, श्री	बदायूं
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह चौहान, श्री	हाथरस
यशवन्त, श्री	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, अनू, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार, श्री	महोबा
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार, श्री	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राम कृष्ण उर्फ आर0 के0 शर्मा, श्री	बरेली
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, श्री	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल, श्री	शाहजहाँपुर
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह, श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीरनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम नरायन, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति, श्री	महराजगंज
श्री भगवान, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, श्री	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र, श्री	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सिनोद कुमार शाक्य (दीपू भइया), श्री	बरेली
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट–आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राज्यपाल के अभिभाषण से आपत्तिजनक अंशों को कार्यवाही से निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये)

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, हमने नियम-311 में एक सूचना दी है।

*** श्री मोहम्मद आजम खां-**

मान्यवर, मैंने कल भी एक गम्भीर समस्या आपके सामने रखी। एक गम्भीर संवैधानिक संकट प्रदेश के सामने खड़ा हो गया है। कल महामहिम का अभिभाषण हुआ और उसमें गत ऐसी सरकार जो लगभग साढ़े तीन वर्ष से ज्यादा रही है, उसके बारे में कहा गया कि एक असंवैधानिक सरकार थी। महामहिम के ऐसा कह देने से, जो कि हैड ऑफ द स्टेट है और उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यह कह देना पूरी हमारी व्यवस्था को चरमरा देने के बराबर है। यह प्रश्न ऐसा है जिसमें किसी को भी, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, भावुक होने की जरूरत नहीं है बल्कि इसमें आज के दिन संजीदा बहस करने की जरूरत है क्योंकि यह इतिहास यहां खत्म नहीं हो जायेगा, संविधान खत्म नहीं होगा। किसी के सत्ता में आने से या किसी के सत्ता से हट जाने से इतिहास के पन्ने सादे नहीं रह जाते हैं। मान्यवर, महामहिम ने जो कल अभिभाषण पढ़ा है, उसे प्रस्तुत करने से पहले उसे महामहिम राज्यपाल के पास भेजते हैं ताकि वह देख लें कि अगर कोई गैर कानूनी बात हो, कोई बात असंवैधानिक हो, तथ्यों से परे हो तो यह उनका अधिकार है कि वह उसे बाहर निकाल सकते हैं। मान्यवर, तकरीबन साढ़े तीन वर्ष सत्ता में रहे तो उस समय भी यही महामहिम हेड थे, पूरे प्रदेश को तनख्वाहें मिलीं और यहीं से कानून को पास कराया गया। महामहिम को राष्ट्रपति जी ने यहां का गवर्नर एप्वाइन्ट करने के बाद एक आलीशान महल उनको रहने के लिए दिया गया, सैकड़ों वहां पर काम करने वाले लोग दिये गये हैं और लाखों रुपये माहवार तनख्वाह निकलती है। इतना बड़ा खर्च केवल यह सब सजावट के लिए नहीं है बल्कि इसलिए है कि अगर कोई सरकार असंवैधानिक काम करती है तो उसे बर्खास्त करने का अधिकार महामहिम राज्यपाल को है। यह सरकार साढ़े तीन साल चली और उसे बार-बार इसी सदन में आकर इन्हीं महामहिम श्री राज्यपाल जी ने एड्रेस किया, सारे कानून पर इन्होंने ही दस्तखत किये हैं अब यह कहना कि यह असंवैधानिक सरकार है तो उसका मतलब यह हुआ कि महामहिम का वह पद भी असंवैधानिक था और उनका साढ़े तीन साल का कार्यकाल भी असंवैधानिक था। मान्यवर, अगर यह सरकार असंवैधानिक थी तो उसी असंवैधानिक सरकार ने पिछला चुनाव कराया और उसी चुनाव से यह नयी सरकार जीतकर आयी है। एक असंवैधानिक सरकार के रहते हुए चुनाव हुआ और वह सरकार जीतकर आयी है तो यह भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असंवैधानिक है, यह सदन भी असंवैधानिक है। हमारा यह कहना है कि या तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का वह हिस्सा निकाल दिया जाय जिसमें यह कहा गया है कि यह सरकार असंवैधानिक है, वरना यह माना जाय कि जिस असंवैधानिक सरकार ने चुनाव कराया तो वह सारी प्रक्रिया असंवैधानिक है और यह सरकार भी असंवैधानिक है। मान्यवर, अगर आप मुझे क्षमा करेंगे तो आपका पीठ पर आसीन होना भी असंवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष-

विचारों की स्वतंत्रता है, कोई भी अपने विचार रख सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दो मिनट हमें बोल लेने दें। हम आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं कि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने देश के संविधान के खिलाफ काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मोहम्मद आजम खां साहब, जब मैं यह अभिभाषण पढ़ना शुरू किया था तो उस समय यह मामला उठाया गया था। माननीय हुकुम सिंह, माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी, माननीय चौधरी साहब ने इस बात को रखा था जो विचार आये उस पर मैंने व्यवस्था दी थी कि इसे आप नियमों के अन्तर्गत लाइये इस पर आप चर्चा करायें। तो व्यवस्था यह हो गयी और आपने यह स्वीकार कर लिया कि ठीक है और उस नियमों के अन्तर्गत आपके दल की सूचनाएं आ गयीं और सूचना के आधार पर आप अपनी बातों को रखेंगे। कल आपने स्वीकार किया था कि नियमों के अन्तर्गत हम लायेंगे। उसके अन्तर्गत सूचनाएं आयी हैं और उस मुद्दे को रखेंगे और जो भी अपना पक्ष होगा रखेंगे। शुरू में इस बात को रख देना कि असंवैधानिक है, यह उचित नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह सरकार भी असंवैधानिक है क्योंकि जिस सरकार ने चुनाव कराया है वह असंवैधानिक थी सारी प्रक्रिया असंवैधानिक है। इसलिए हमारा यहां बैठा होना, आपका वहां बैठा होना, सदन की कार्यवाही चलना, यह सब कार्यक्रम असंवैधानिक है, इसलिए सबसे पहले इस पर निर्णय होना चाहिए कि हम असंवैधानिक कार्य में हिस्सेदार होंगे या असंवैधानिक कार्य में हिस्सेदार नहीं होंगे और अगर यह सदन असंवैधानिक है तो कल पढ़ा हुआ अभिभाषण जिसमें गत सरकार को असंवैधानिक कहा गया है, हम आपसे बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि उस हिस्से को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसी संदर्भ में सूचनायें आई हैं, और दल की तरफ से भी सूचनायें आई हैं। कल जब आप लोगों से हमने निवेदन किया, माननीय आजम खां साहब या माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी

कि ठीक है इसको आप नियमों के अन्तर्गत लाइये, उस पर आप चर्चा करिये और उस पर आप लोगों की सूचना भी आ गई।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा कहना दूसरा है, मेरा कहना यह है कि यह कार्यवाही ही असंवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष-

यही है उसमें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 11.00 बजे से शुरू होने वाली कार्यवाही ही असंवैधानिक है, इस पर हमें आपकी रूलिंग चाहिए कि आखिर यह कार्यवाही संवैधानिक है या असंवैधानिक है ? और इससे पहले हम आपके द्वारा यह भी जानना चाहेंगे कि अभिभाषण में गत सरकार को असंवैधानिक कहना और उसके द्वारा चुनाव कराकर एक नई सरकार को गठित करना और महामहिम का उसको वोट दिलाना क्या यह संवैधानिक हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब, सेम टू सेम इसी संदर्भ में नियम-300 के अन्तर्गत सूचनायें आई हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, साढ़े तीन वर्ष जो सरकार असंवैधानिक रूप से चली, वह सदन फिर असंवैधानिक हो गया।

(व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, अगर आप नियम-300 पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं और शुरू में ही बगैर नियमों के चर्चा करा रहे हैं तो ठीक है, आप करावें, आप वरिष्ठ हैं, आप जो भी निर्णय लें, लेकिन जब आप नियम-300 में सूचना दिये हैं तो उस पर आप विधिवत् अपनी बात को रखें और माननीय आजम साहब भी अपनी बात को रखें, या तो आप नियम-300 पर चर्चा न करायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सदन ही असंवैधानिक है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपका वहां पर बैठा होना ही असंवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपके विचारों की स्वतंत्रता है। क्या आप लोग नियम-300 पर चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

असंवैधानिक सरकार के जरिये चुनाव और चुनाव के माध्यम से आई हुई सरकार असंवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपकी स्वतंत्रता है जो भी आप कहें, हमको कहें, किसी को भी कहें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन माननीय चौधरी साहब, माननीय अग्रवाल साहब, आप नियम-300 पर चर्चा करायेंगे ? चर्चा में कुछ अपने विचार रखेंगे ? यह स्पेसफिक उसी पर आया है। मैं निवेदन भी कर रहा हूं, इस बात को आप सरकार के सामने रखें और नियमों के तहत अपना विरोध सरकार के सामने रखने की कोशिश करें। माननीय वकार साहब अगर इस तरह से आपकी बात पूरी हो जाय, आपकी बात बन जाय, तो हमको कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, [x x x] श्रीमन् महामहिम क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे ? [x x x] और श्रीमन् मूल बात तो यह है कि अगर किसी भी हालत में वह सरकार साढ़े तीन साल, पौने चार साल असंवैधानिक थी तो मान्यवर, पूरी प्रक्रिया ही असंवैधानिक हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप बहुत विद्वान सदस्य हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् महामहिम राज्यपाल की तनख्वाह उनके पूरे राजभवन का स्टेब्लिशमेन्ट, उत्तर प्रदेश विधान सभा .....

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप ही सब बोल दें, तमाम माननीय सदस्य सीखने वाले, बोलने के लिए खड़े हैं। आप नियम-300 की सूचना पर अपने पूरे विचारों को रखेंगे कि नहीं रखेंगे ? जिस बात को आप यहां कह रहे हैं, इसी बात को आप उसमें नियमानुसार रखेंगे और उस पर सरकार की तरफ से भी पक्ष आयेगा।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उस सूचना पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी हैं, माननीय आजम खां साहब हैं, माननीय अग्रवाल जी हैं, चौधरी साहब हैं हमारे वरिष्ठ सदस्य वर्मा जी हैं, आप सब लोग उसमें अपनी बात रखें, कौन सा हम लोग उसमें विरोध कर रहे हैं। मैं एक निवेदन कर रहा हूं कल आपने यही स्वीकार किया कि ठीक है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कल इतना अच्छा आपका एक संदेश गया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कि आपने एक राज्यपाल का अभिभाषण अच्छे से करवाया और लोगों की नियम-300 की सूचना है।

(घोर व्यवधान होने पर)

माननीय चौधरी साहब नियम-300 के अन्तर्गत सूचना है क्या आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्या बहस नहीं करेंगे उस पर।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के श्री जर्नादन प्रसाद ओझा, श्री उदयराज यादव, श्री महेन्द्र सिंह, राजपूत आदि अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये तथा नारे लगाने लगे 'प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी'। 'यह सरकार भी असंवैधानिक है, असंवैधानिक है।')

माननीय चौधरी साहब, माननीय अग्रवाल साहब यह आपकी सूचना है। आप बोलें और माननीय सदस्यों को कहें कि वे कृपया अपने-अपने आसनों पर वापस जायें। अपनी बात को नियमों के अन्तर्गत कहें, उसकी सूचना की ग्राह्यता पर आप बोलें।

माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय सदस्यों को बिठाकर, आप उस पर चर्चा करा दें।

* नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सवाल उठा है वह ठीक है। जब सब असंवैधानिक था तो फिर यह सरकार क्यों चले ? जो यह कार्यवाही हो रही है वह असंवैधानिक है। आपका सवाल है कि नियमों में बोलें। यह कार्यवाही पूरी की पूरी असंवैधानिक है। आप बैठे हुए हैं वह असंवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष-

कल इस बात को रखा गया था। आपकी सूचना इस पर आयी है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

पहले उस भाग को उस अभिभाषण से निकलवा दीजिये। जो असंवैधानिक वाली बात है उसको कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में सूचनायें हैं। आप उसकी ग्राह्यता पर बोलें। नियम-300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना की ग्राह्यता पर माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं। आप बात रखें सरकार की तरफ से पक्ष आयेगा।

(सदन के वेल में आये समाजवादी पार्टी के सदस्यगण नारे लगाने लगे 'प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी')

आप अपनी बात को रखना नहीं चाहते हैं।

(सदन के वेल में समाजवादी पार्टी के श्री अम्बिका चौधरी तथा अन्य सदस्यगण नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, आप इस तरह से अपनी बात को रखना चाहते हैं ? आपको पूरा सुना जायेगा। नियम-300 में आपने इस संदर्भ में सूचना दी है। इसकी ग्राह्यता में पूरी बातें आ जायेंगी लेकिन नारा लगाने से बात नहीं आ पायेगी।

चौधरी साहब, इस तरह से तो आपके तर्क नहीं आ पा रहे हैं।

(सदन के वेल में आये हुए माननीय सदस्य श्री राम विशुन आजाद द्वारा नारे लगाने पर)

आजाद जी, बहस तो चलेगी कि नहीं चलेगी ?

* संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, ये लोग तानाशाही से सदन को चलाना चाहते हैं और जो इन्होंने असंवैधानिक कार्य किये हैं उसका पर्दाफाश न होने पाये इसलिए उस तथ्य को छिपाने के लिए ये हो-हल्ला मचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह कार्यवाही का अंग न बने।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब, आप इसी बात को, अपने सदस्यों को व्यवस्थित कराकर पूरे तर्क रखें, आपकी पूरी बात आ जायेगी। आप माननीय सदस्यों को व्यवस्थित कराकर पूरी बात रख दें।

(नारेबाजी के कारण हो रहे घोर व्यवधान के मध्य)

और सरकार की तरफ से पक्ष भी आ जाय, आप पूरी बात को रख दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम अपनी बात कह चुके, अब आपको निर्णय लेना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 की सूचनाएं सब इसी बिन्दु पर है। इसमें आप अपनी बात कह लें।

श्री मोहम्मद आंजम खां-

हम तो अपनी बात कह चुके हैं, निर्णय आपको लेना है।

श्री अध्यक्ष-

आप सदन को व्यवस्थित तो कर दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर दें। आप सदन को व्यवस्थित करा दें, ताकि मैं भी सरकार का पक्ष रख दूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब, आप सदन व्यवस्थित कर दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं। इनकी भी बात आ जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह असंवैधानिक सरकार है, आप असंवैधानिक है और पूरा सदन असंवैधानिक है, इस सरकार को चलाने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 40 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 12 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न मा0 आजम खां साहब ने उठाया है पहले उस प्रश्न पर आपका निर्णय आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अग्रवाल साहब, पहले आप माननीय सदस्यों को व्यवस्थित करा दें, उसके बाद आप अपनी बात रखें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जब यह बात उठायी गयी थी तो सदन व्यवस्थित था। जब व्यवस्थित सदन में एक बात आयी है तो पहले उस पर आपका निर्णय आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

वेल के अन्दर माननीय सदस्य बैठे हैं और आप अपनी बात कहेंगे तो यह कोई परम्परा नहीं रही है। पहले माननीय सदस्यों को सीटों पर बैठा दें फिर अपनी बात रखें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जब बात रखी गयी थी तो सदन व्यवस्थित था। अब पीठ का निर्णय चाहिए। श्रीमन् हम लोगों ने जब आपको सर्वसम्मति से चुना था तब आपने कहा था कि यह पीठ दबाव में निर्णय नहीं करेगी। आप हमको संरक्षण दें, हमको न्याय चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक पीठ के दबाव का सवाल है ...

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हम लोग यहां संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं।

(वेल में बैठे हुए माननीय सदस्यगण नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 आजम खां साहब किसी माननीय मंत्री को बोलने से मना नहीं कर सकता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम सब यहां संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के लिए नहीं आये हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी असंसदीय हैं क्योंकि एक असंवैधानिक सरकार के संसदीय कार्य मंत्री हैं। उन्हें क्या सुनूं ? हम आपको सुनना चाहते हैं, आपका निर्णय चाहिए। वह तो खुद ही गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ चुनकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आजम खां साहब माननीय सदस्यों को व्यवस्थित करा दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। औचित्य के प्रश्न का जो नियम है, जो उसकी महत्ता है उसको पूरी नहीं करता है इसलिए इस औचित्य के प्रश्न को निरस्त करने की कृपा करें।

(वेल में आये हुए माननीय सदस्यगण नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राधेश्याम जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-01, दिनांक 17 मई, 2007 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :-

अधीक्षक, जिला कारागार सीतापुर ने अपने टेलेक्स दिनांक 20 मई, 2007, जो इस सचिवालय में दिनांक 21 मई, 2007 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि श्री राधेश्याम

जायसवाल, सदस्य, विधान सभा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीतापुर के आदेश से दिनांक 19 मई, 2007 को जमानत पर रिहा किया गया है।

उक्त माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-01, दिनांक 17 मई, 2007 द्वारा पूर्व में प्रसारित की जा चुकी है।

इसके पश्चात समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा।।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 मई, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई।

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर में बिजलीपुरा से मेसगंज की विद्युत आपूर्ति बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सुन्दर सिंह की ग्यारा-कुन्दरकी मार्ग पर टेम्पो दुर्घटना में मृत व्यक्तियों एवं घायलों को मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर में बन्द पड़े तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोता सिंह की प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में पृथ्वीराज चौहान एवं विकास खण्ड मगरौरा में सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री महेश चन्द गुप्ता की बरेली मध्य मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता के अधीन निर्माण कार्य को अत्यन्त जर्जर बताकर मुख्यालय की ओर से पहले निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्रीमती कृष्णा राज की खीरी के मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड पसगवां में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री दुर्ग प्रसाद यादव की आजमगढ़ के राजा विश्वविद्यालय में कुंये के काटने पर लगने वाली शुल्क (रकम) की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री कुंवर सिंह की जिला सहकारी बैंक फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में श्री सुघर सिंह जमा को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

नवीं सूचना श्री रमेश कपूरिया की जनपद आगरा के कीठौर अत्यन्त जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री पशुपति की गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डेड़गवां से नक्सर तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में कौथला झील की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

शाहजहांपुर में बिजलीपुरा से सेसगंज की विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित घण्टों की विद्युत आपूर्ति शाहजहांपुर जनपद में होना चाहिये परन्तु यह आपूर्ति नहीं हो पा रही है। शाहजहांपुर नगर में विद्युत आपूर्ति जितने घण्टे होती है उससे कम बिजलीपुरा फीडर पर होती है। बिजलीपुरा फीडर से जो क्षेत्र सम्बद्ध है वे लोग गर्मी के मौसम में त्राहि-त्राहि करते हैं। नया विद्युत सब-स्टेशन अब्दुल्लागंज/अजीजगंज तैयार हो चुका है परन्तु विद्युत की सप्लाई इस फीडर से नहीं हो रही है, यदि विद्युत सप्लाई बिजलीपुरा फीडर के स्थान पर सब-स्टेशन अब्दुल्लागंज से हो जावे तो क्षेत्र की जनता राहत की सांस लेगी।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिजलीपुरा से सेसगंज की विद्युत सप्लाई बढ़ाई जावे (सबके बराबर की जावे) अन्यथा इस क्षेत्र की सप्लाई नवनिर्मित फीडर अब्दुल्लागंज से जोड़ दी जावे।]

स्याना-बुलन्दशहर मार्ग पर टैक्सी दुर्घटना में मृत व्यक्तियों एवं घायलों को मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से सहायता दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर सिंह-

[माननीय अध्यक्ष जी दिनांक 8-5-2007 को ग्राम ढक्का जवासा मनिया ठीकरी नगला आलमपुर आदि गांवों के लगभग 15 व्यक्ति एक शादी समारोह से रात्रि में लौट रहे थे। कभी स्याना बुलन्दशहर मार्ग पर एक टैम्पो की संख्या-यू0पी0 13बी 7956 बड़ी तेजी से आया व लापरवाही से चलाते हुये ड्राइवर ने टक्कर मारी जिसमें रणवीर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह गांव ढक्का आयु लगभग 45 वर्ष व सुरेन्द्र पुत्र हरिवंश ग्राम जवासा आयु 26 वर्ष को मौके पर ही कुचल कर मार दिया तथा वेदराज सिंह पुत्र हरवंश सिंह जवासा थाना खानपुर राम किशोर सिंह पुत्र श्री हरचन्दी सिंह जवासा थाना खानपुर, समय सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह जवासा थाना कासपुर धर्मवीर सिंह पुत्र श्री आनन्द स्वरूप सिंह ग्राम ढक्का थाना खानपुर, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री चन्द्रपाल सिंह गांव नगला आलमपुर थाना खानपुर, नन्हें सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह गांव मनिया टीकरी थाना खानपुर को गम्भीर चोट आयी जिनका इलाज जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर व दिल्ली के अस्पतालों में चल रहा है।

मैं चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी अपने विवेकाधीन कोष से मृतकों को दो-दो लाख रुपये व गम्भीर रूप से घायल धर्मेन्द्र कुमार निवासी नगला व नन्हें सिंह गांव मनिया टीकरी को एक-एक लाख रुपये व सामान्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता प्रदान करने की कृपा करें।]

गोरखपुर महानगर में बन्द पड़े तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[माननीय अध्यक्ष जी, गोरखपुर महानगर में 23 जनवरी, 2006 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा तारामण्डल का लोकार्पण किया गया था। लोकार्पण के उपरान्त 3 माह तक तारामण्डल का 3 माह तक सुचारु रूप से संचालन हुआ। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक अर्थात् पहले एक वर्ष से तारामण्डल बन्द पड़ा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने लगातार कभी जेनरेटर और कभी ए0सी0 प्लान्ट के खराब होने के नाम पर तारामण्डल बन्द रखा तथा बाद में बोर्ड की बैठक करके तारामण्डल का संचालन करने से मना कर दिया।

तारामण्डल के निर्माण में कुल रुपये 23 करोड़ खर्च हुये हैं तथा पर्यटन, नागरिकों में वैज्ञानिक अभिरुचि, छात्रों के प्रशिक्षण तथा मनोरंजन केन्द्र की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। तत्कालीन शासन ने प्रदेश के सभी तारामण्डलों के सम्मिलित संचालन हेतु प्राधिकरण बनाने की घोषणा की थी। लेकिन 9 वर्ष बीतने के उपरान्त भी इसके संचालन हेतु किसी निश्चित कार्ययोजना को कार्यरूप नहीं किया गया।

यदि इसका संचालन तुरन्त प्रारम्भ नहीं किया गया तो तारामण्डल की मशीनों के खराब हो जाने की पूरी सम्भावना बनी हुयी है। मशीनों का 3 वर्ष का गारन्टी का समय भी समाप्त हो रहा है। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना के लिये धन की व्यवस्था सुश्री मायावती जी के पूर्व के कार्यकाल में ही हुयी थी।

अतः निवेदन है कि विधानसभा की कार्य-प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के तहत इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार को जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरां में पृथ्वीराज चौहान एवं विकास खण्ड मंगरौरा में सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[माननीय अध्यक्ष जी, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में पृथ्वीराज चौहान एवं विकास खण्ड मंगरौरा में सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित किये जाने हेतु संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। संस्कृति निदेशालय द्वारा स्थल विकास हेतु लागत मूल्य की 25 प्रतिशत की मांग की गई थी साथ ही मूर्ति अधिष्ठापित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से भूमि की व्यवस्था की अपेक्षा की गई थी जिसे उनके द्वारा कर दिया गया है परन्तु विभाग ने आज तक मूर्ति अधिष्ठापित नहीं की। अधिष्ठापन अंश की व्यवस्था यदि शासन स्तर पर सम्भव न हो तो उसे जनसहयोग से कराया जा सकता है परन्तु सम्बन्धित विभाग की उदासीनता से महापुरुषों के प्रति जनभावनायें आहत हो रही हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

बरेली-मथुरा राजमार्ग के स्वीकृत निर्माण कार्य को अत्यन्त जर्जर बदायूं मुख्यालय की ओर से पहले निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र (बदायूं)-

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढा युक्त मुख्य मार्ग बरेली-मथुरा राजमार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत हो गया है जिसका कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। उक्त राजमार्ग बदायूं मुख्यालय के तरफ अत्यधिक खराब है इसलिए इसका निर्माण जहां पर अत्यधिक खराब है उस ओर किया जाना चाहिए परन्तु भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी के कारण उक्त राजमार्ग का निर्माण कार्य बदायूं मुख्यालय की तरफ से न कराकर कासगंज की ओर से कराया जा रहा है जबकि कासगंज की तरफ से मार्ग उतना खराब नहीं है जितना कि बदायूं मुख्यालय की तरफ से है। बदायूं मुख्यालय की तरफ से उक्त राजमार्ग में इतने गड्ढे हो गये हैं कि यह पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है। मार्ग के अत्यन्त खराब होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं, घण्टों जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अत्यन्त जर्जर बदायूं मुख्यालय की ओर से मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

खीरी के मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड पसगवां में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा राज-

[माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड पसगवां में कोई कन्या विद्यालय नहीं है। मोहम्मदी विधान सभा अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। जहां की बालिकायें प्रायः शिक्षा से वंचित है। शिक्षा के आभाव में बालिकायें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करती है एवं समाज के विभिन्न विकास से वंचित रह जाती है। मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के समुचित विकास के लिये बालिकाओं की शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। इस कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे विधान सभा क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा पूरी हो सके एवं वे समाज में एक स्थान प्राप्त कर सके।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड पसगवां में एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने की मांग करती हूं।]

आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में कुत्ते के काटने पर लगने वाली सुई (दवा) की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस लोक महत्व के विषय के माध्यम से सदन का ध्यान जनपद-आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। जहां विगत कई माह से कुत्ते के काटने पर लगने वाली सुई (दवा) उपलब्ध नहीं है। आजमगढ़ की जनता परेशान हो रही है। लोग कुत्ते के काटने पर सुई नहीं लगवा पा रहे हैं सुई के अभाव में लोग रोग से ग्रसित हो रहे हैं या पागल हो रहे हैं। सुई की जिला चिकित्सालय में अनुपलब्धता के कारण गरीब लोग बाजार से मंहगें दाम पर सुई नहीं खरीद पा रहे हैं। जिससे लोग या तो मर रहे हैं या पागल हो रहे हैं। चिकित्सालय की व्यवस्था जर्जर होती जा रही है। एस0टी0ओ0 ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार अविलम्ब व्यवस्था करें, जिससे लोगों को बचाया जा सके तथा जनता को सुचारु रूप से जीने का हक प्राप्त हो।

अतः माननीय अध्यक्ष जी निवेदन है कि इस लोक महत्व के प्रश्न की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आजमगढ के जनपद चिकित्सालय में उक्त सुई (दवा) की व्यवस्था अविलम्ब की जाय।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला सहकारी बैंक फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में श्री सुधर सिंह वर्मा को आमेलित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कुबेर सिंह-

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

टेक्नीकल आफीसर जिला सहकारी बैंक फतेहगढ़, फर्रुखाबाद से किसान सेवा सहकारी समितियों जनपद फर्रुखाबाद की विभिन्न संस्थाओं में विभागीय आदेश एवं निर्देशों के आधार पर 1989-90 में बैंक सेवाओं में आमेलन हेतु जो निम्नलिखित व्यक्तियों को लिया गया है।

1-सूरज सिंह यादव पुत्र श्री लज्जा राम यादव,
2-ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री यशोदान्त सिंह यादव,
3-बालकराम यादव पुत्र श्री सियाराम यादव
4-जाहर सिंह यादव पुत्र श्री बालक राम यादव
5-रवीन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री दशरथ सिंह यादव
6-जगदीश नारायण पुत्र श्री तुलाराम
7-सुधर सिंह वर्मा पुत्र श्री भजनलाल वर्मा
8-रणधीर सिंह यादव पुत्र श्री बृन्दावन लाल,
9-कायम सिंह यादव पुत्र श्री मुंशी लाल यादव।

जिसमें 9 लोगों में से 7 लोग एक विशेष जाति (यादव) होने के कारण इन सभी का आमेलन करा दिया गया परन्तु सुधर सिंह वर्मा दूसरी जाति के होने के कारण आज तक आमेलन नहीं कराया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। इस तरह से जातिगत भावना से आमेलन न कराये जाने से सुधर सिंह वर्मा को मानसिक आघात पहुंचा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं सुधर सिंह वर्मा का तत्काल आमेलन करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-जालौन के कतिपय अत्यन्त जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विनोद चतुर्वेदी-

[माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड इस प्रदेश का अत्यन्त अविकसित क्षेत्र जहां पर है। यहां पर आबादी दूर-दूर तक फैली हुई है और आवागमन का एक मात्र साधन संपर्क मार्ग है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विगत 3 वर्षों से सूखे के कारण एवं सम्पर्क मार्गों का पर्याप्त रख-रखाव न होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। इन मार्गों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने तत्कालीन सत्तारूढ़ दल में शामिल लोगों द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के कारण मार्गों का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं हुआ है। ये मार्ग पूर्णरूप से निर्मित नहीं हुये है, जगह-जगह गिट्टी बिखरी पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का आवागमन बाधित है। उरई से जालौन, जालौन से औरैया, उरई से राठ एवं मोहम्मदाबाद से सिमिरिया तथा उरई से टीकर एवं एयर से ददरी आदि प्रमुख मार्ग है जिनकी हालत अत्यन्त दयनीय है। मार्गों के आवागमन के योग्य न होने के कारण लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है और आवागमन बाधित है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डेढ़गवां से नगसर तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पशुपति-

[माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र 215 विधान सभा दिलदार नगर जनपद-गाजीपुर में ग्राम डेढ़गवां से नगसर तक मार्ग बहुत ही खराब हो गया है जिससे आने-जाने में आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण आम जनमानस में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के तात्कालिक अविलम्बनीय विषय पर मैं लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग को पुनः बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में कौथला झील की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मदन चौहान-

[माननीय अध्यक्ष जी गढ़मुक्तेश्वर एक पौराणिक पर्यटन स्थल है जहां पर गंगा नदी में स्नान करना व पौराणिक मन्दिरों में जाने का विशेष महत्व है। सरकार ने भी हरिद्वार की तर्ज पर विकास करने का निर्णय ले रखा है। लेकिन एक कौथला नामक झील जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 हेक्टेयर है। उसका अतिक्रमण भू-माफियाओं द्वारा ग्राम शाहपुर चौधरी, कल्याणपुर आदि ने (द्वारा) अवैध कब्जा जमा लिया है। पर्यटन स्थल होने के कारण इस झील का सौन्दर्यीकरण तथा आकर्षण होने से पर्यटक व श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचेगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आज सरकार से अनुरोध है कि इस झील का सौन्दर्यीकरण कराने के साथ-साथ इस सरकारी भूमि व झील को भू-माफियाओं के अवैध कब्जे से बचाया जाय यह प्रश्न जनहित का व अविलम्बनीय है। अतः मैं सरकार का कार्यवाही हेतु ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 मई, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचनाएं प्राप्त हुई :-

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिन चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में साधारणतया 4 दिन चर्चा कराये जाने का प्राविधान है। त्रिवेन्द्रम में दिनांक 24 मई, 2007 से 28 मई, 2007 तक हो रहे पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों के सम्मेलन के कारण प्रश्नगत चर्चा केवल दो दिन रखी गई है।

इसी के साथ मैं इस सूचना को निस्तारित करता हूं।

दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण में पिछली सरकार के असंवैधानिक सरकार का गठन का उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल एवं श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण में पिछली सरकार के असंवैधानिक सरकार का गठन का उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-19 के उप नियम (3) में यह प्राविधान है कि 'अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा।' उक्त नियम के उप नियम (4) में यह भी प्राविधान है कि 'इस प्रकार नियत दिन या दिनों में सदन में एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिए सदन स्वतंत्र होगा और ऐसे धन्यवाद के प्रस्ताव में ऐसे उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जिसे अध्यक्ष उचित समझें।'

आज की कार्य सूची में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में माननीय नेता, प्रतिपक्ष तथा कई अन्य सदस्यों के दिये गये संशोधन छपे हैं और वे उन पर अपने विचार व्यक्त करते समय इस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं। अतः इस विषय पर अलग से औचित्य का कोई प्रश्न देने का औचित्य नहीं है।

अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 †

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकालांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) **विधेयक**, 2007 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरः स्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

* **श्री** ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री राज्यपाल के **अभिभाषण** के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष **दिनांक** 21 मई, 2007 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे धन्यवाद प्रस्ताव रखने का अवसर दिये जाने के लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस अवसर का सदुपयोग प्रदेश की महान जनता को धन्यवाद देने के लिये करना चाहूंगा जिसमें बहन मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार के पक्ष में जनादेश देकर एक गहरे अंधकार में डूबते जा रहे उत्तर प्रदेश को फिर से अमन चैन और विकास के पथ पर लाकर खड़ा करने का महान कार्य किया है। महज 10 दिन पहले तक इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार का राज था जो जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप स्थापित नहीं हुई थी। इसका गठन छल, प्रपंच लोभ, भय और जोड़-तोड़ के जरिये कुछ चुनिन्दा पूंजीपतियों और माफियाओं और सत्ता के

---

† दिनांक 15-6-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कतिपय दलाल संस्कृति के पोषकों के हित साधने के लिये किया गया। शायद यही मनोदशा और सोच का परिणाम था जब एक दौलतमंद और उच्च समाज में विचरण करने वाला एक वहशी दरिन्दे के महल जैसे घर से निठारी गांव के मासूम और गरीब परिवारों के अबोध बालक बालिकाओं के कंकाल मिल रहे थे तो यहां एक बैठे सदस्य जो तब सर्वशक्तिमान मंत्री थे इसे छोटी मोटी घटना बता रहे थे। दरअसल बात केवल इतनी नहीं थी कि जुबान फिसल गयी और मुंह से कुछ का कुछ निकल गया सच तो यह है कि दिल की बात जुबां पर आ गयी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओ0पी0 सिंह जी, आपका भाषण जारी रहेगा। मैं सदन को एक घण्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित कर दी। 1 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें।

(मा0 सदस्यगण सदन के फ्लोर पर नारे लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जिससे घोर व्यवधान बना रहा।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन का कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी ...

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सदन को एक सूचना देनी है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 मई, 2007 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जाय तथा शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा की सिफारिश जिसका प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखा गया है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार कया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन)

विधेयक, 2007

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2002 का सामान्य संशोधन

2-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय" जहां-जहां आये हों, जिसके अन्तर्गत शीर्षक और दीर्घ शीर्षक भी हैं, के स्थान पर शब्द "छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

*श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, एक संवेदनहीन हृदय जिसे जनता से सरोकार न हो उससे कुछ और उम्मीद करना भी बेईमानी है। उस दौर में बड़े-बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर बड़ी-बड़ी बातें कर सुनहरा सपना दिखाने का गोरखधंधा जोरों से चल निकला था.....

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा)

अपनी और अपने पूंजीपति दोस्तों को महिमामंडित करने के लिये उत्तर प्रदेश विकास परिषद् नाम की एक संस्था बनाकर उसे कैबिनेट से भी ऊपर का दर्जा प्रदान कर संविधान का मखौल उड़ाना तो सरकार का रूटीन बन गया था। मैं मुख्य मंत्री बहन मायावती जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने मुख्य मंत्री का पद संभालते ही विकास परिषद् नाम की जालसाजी संस्था को समाप्त कर दिया जिसमें केवल हजारों, करोड़ों रुपये के कथित एम0 ओ0 यू0 (मेमोरेन्डम आफ अंडरस्टेंडिंग) साइन किये जिन्होंने कागजों में ही दम तोड़ दिया.....

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, जनता से जुड़े मामले भले ही बीती सरकार की प्राथमिकता में न रहे हो मुम्बई के वालीवुड और खासकर सदी के एक महानायक पर मेहरबानियों की बरसात करने में समाजवादी सरकार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था जो भी फिल्म बाप-बेटे की आयी उसे मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया गया न कोई नीति थी न कोई नियम का ख्याल रखा गया। बाप-बेटे की फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त कर प्रदेश के राजस्व की हानि लगातार की गयी। दृश्य कुछ ऐसा था जैसे अंधा बांटे रेवड़ी और अपनो को ही दें। हद तो तब हो गयी जब इस महानायक को फ्राड करते हुए धरती पुत्र ने बाराबंकी में किसान बना दिया। जिसकी पर्तें बहन मायावती जी के सत्ता में आने के बाद एक-एक करके खुल रही हैं।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, गुण्डागर्दी के बारे में क्या-क्या कहें और क्या-क्या न कहें। तमाम बातें तो ऐसी हैं जिसका इस सदन में उल्लेख करना भी मर्यादाओं का हनन करने जैसा है। मान्यवर, क्या-क्या नहीं हुआ फिरोजाबाद में। पुलिस कप्तान को सत्ताधारी विधायक ने सरेआम पीटा तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हृदय हजरतगंज की सड़कों पर एक सी0 ओ0 साहब को बोनट पर लटका कर कुछ नौजवान लोहियाओं ने पहले घुमाया फिर लाकर एस0एस0पी0 के आफिस में दे पटका।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

*श्री त्रिभुवन दत्त-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण प्रतिवेदक की मेज पर चढ़कर पीठ की तरफ बढ़ने का प्रयास करते रहे और सुरक्षा सहायकों से धक्का-मुक्की करने लगे तथा प्रतिवेदकों तथा उसके बगल में लगाये गये ध्वनि प्रणाली के यंत्रों को भी तोड़ दिया)

श्री त्रिभुवन दत्त-

मा0 अध्यक्ष जी, पौने चार साल पहले संसदीय मान्यताओं को तोड़कर बनायी गयी सरकार को इस प्रदेश की जनता ने नकार करके 16 साल बाद बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार को बनाने का काम किया है इसके लिये मैं उसका धन्यवाद करता हूं और श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल कृपया अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जो बात आप रखना चाहें, रखें।

(मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्यगण, आप हमारे सम्मानित नये सदस्य हैं, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(वेल में आये हुए सदस्य लगातार नारे लगाते रहे कुछ सदस्य कागज के गोले बनाकर भी अध्यक्ष पीठ की ओर फेंक रहे थे)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव तो प्रस्तुत करे। मा0 मुलायम सिंह यादव जी, मा0 मोहम्मद आजम खां जी, मा0 अवधेश प्रसाद जी, मा0 नरेन्द्र सिंह वर्मा जी, आप कृपया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधन प्रस्ताव तो प्रस्तुत करें। अपनी बात तो कहें, मान्यवर, मा0 ओम प्रकाश सिंह जी, मा0 हुकुम सिंह जी, मा0 लाल जी टण्डन जी, मा0 सतीश महाना जी, मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी, मा0 उदयभान करवरिया जी, श्रीमती कृष्णा राज जी और मा0 यशपाल सिंह चौहान जी, कृपया अपना संशोधन प्रस्ताव तो प्रस्तुत करें।

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मद संख्या-6 ले लें, इस पर कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

श्री कौकब हमीद जी, डा0 अजय तोमर जी, मा0 मदन भैया जी, मा0 सत्येन्द्र सोलंकी जी, मा0 अब्दुल वारसी जी, मा0 पूरन प्रकाश जी, मा0 डा0 अनिल चौधरी जी, सुश्री विमलेश सिंह जी, मा0 कादिर राणा जी, मा0 सत्यपाल सिंह जी, कृपया अपना संशोधन प्रस्ताव तो प्रस्तुत करें, मान्यवर।

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया)

(घोर व्यवधान और नारेबाजी जारी)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 मई, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री कुबेर सिंह की जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली के ग्राम ददवा का पुरा स्थित नहर में डूबकर 3 बच्चों के मरने एवं पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ स्थित बेगम पुल चौराहा के आसपास अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से निर्माण कार्य हेतु अवशेष धन को मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवीं सूचना श्री महेश त्रिवेदी की जनपद कानपुर के ग्राम गहिलापुर में हुए भीषण अग्निकाण्ड के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। छठी सूचना श्री पूरन प्रकाश की लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील में विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के

सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना श्री प्रदीप जैन "आदित्य" की जनपद झांसी स्थित महानगरीय क्षेत्रों में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। नवीं सूचना श्री रमापति उर्फ रमाकान्त की जनपद कुशीनगर के ग्राम शेखपुरवा में विद्युत लाइन से मरने वालों के परिवारीजनों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद स्थित सिंभावली शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का लम्बित भुगतान तुरन्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री धनीराम वर्मा, श्रीमती कृष्णा राज, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री जयवीर सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री माधो पासवान।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेतागण आप धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करें। माननीय सदस्य कम से कम अपनी बात तो कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्यों के शांत न होने पर)

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सारे मद खत्म हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 1 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :

दिनांक 22 मई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 197 विधान सभा (335)-11-7-07-813 (कम्प्यूटर)।